

केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव संबंधी विवरणः
वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19

किसी कर विधि और इसके प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी व्यय के वित्तपोषण के प्रयोजनार्थ राजस्व जुटाना है। जुटाए गए राजस्व की राशि मूल रूप से सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर होती है। इन दो कारकों के निर्धारक घटक ऐसे उपाय होते हैं जिनमें विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, रिबेट, आस्थगन और क्रेडिट शामिल हैं। इन उपायों को सामूहिक रूप से 'कर प्रोत्साहन' या 'कर तरजीहें' कहा गया था। उनका सरकारी राजस्वों पर प्रभाव पड़ता है और ये सरकार की महत्वपूर्ण नीति भी प्रदर्शित करते हैं।

कर नीति में ऐसे विशिष्ट कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है जिनसे कर तरजीहें बढ़ती हैं। ऐसी तरजीहों का एक निश्चित राजस्व प्रभाव होता है और इन्हें तरजीही करदाताओं को अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में भी माना जा सकता है, तथा इन्हें 'कर व्ययों' के रूप में भी माना जा सकता है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि कर नीति न केवल सक्षम अपितु पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसका आशय यह है कि कार्यक्रम की ऐसी आयोजना स्पष्ट होनी चाहिए, जिसके लिए विशिष्ट नीतिगत उद्देश्य अपेक्षित होते हैं, का राजस्व प्रभाव वाले प्रोत्साहनों का उपयोग करके निराकरण किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त, पारदर्शी बजट व्यवस्था के लिए संबंधित कार्यक्रम शीर्षकों के अंतर्गत ऐसे अप्रत्यक्ष परिव्ययों (या राजस्व प्रभावों) के समावेशन के लिए आवश्यक है। राजस्व प्रभावों के किसी रूप में परिणामी कर प्रोत्साहन स्वतः कर संविधि में अंतःस्थापित व्ययकारी कार्यक्रम होते हैं।

मौजूदा विवरण केन्द्रीय कर प्रणाली के अधीन उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का एक विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों का ऐसा राजस्व प्रभाव परित्यक्त राजस्व के विवरण के माध्यम से प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के रूप में बजट 2006-07 के दौरान पहली बार संसद के समक्ष रखा गया था। इसका सभी वर्गों ने भलीभांति स्वागत किया था और इससे राजकोषीय नीति से संबंधित मुद्दों के सम्पूर्ण विषय पर एक रचनात्मक बहस शुरू हो गई थी। इसने कर संबंधी नीति और कर संबंधी व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के सरकार के इरादे का भी प्रमाण दिया था। इस विवरण का दूसरा संस्करण प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के माध्यम से और "परित्यक्त राजस्व के विवरण" नामक एक पृथक दस्तावेज के जरिए भी बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष रखा गया था। तत्पश्चात्, बजट 2008-09 से 2014-15 के दौरान इसे संसद के समक्ष प्रत्येक वर्ष रखा गया था। बजट 2015-16 में, इसे "केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव संबंधी विवरण" के रूप में और अधिक उपयुक्त रूप से नाम दिया गया है, तब से इसका राजस्व प्रभाव के रूप में वास्तविक रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। तथापि, उस वर्ष यह प्राप्ति बजट का भाग नहीं था। बजट 2015-16 में इसे अनुबंध-15 के रूप में, जबकि बजट 2017-18 में इसे अनुबंध 13 के रूप में प्राप्ति बजट का भाग बनाया गया था। बजट 2018-19 में यह प्राप्ति बजट का अनुबंध-7 के रूप में भाग था।

पहले की तरह, इस विवरण का उद्देश्य उन कर प्रोत्साहनों या कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करना है जो केन्द्रीय सरकार की कर प्रणाली का भाग है। ऐसे कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अधिकांश "कर तरजीहों" के संदर्भ में आकलन किया गया है। ये आकलन सर्वाधिक हालिया वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2017-18 के लिए है जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के कर व्यय संबंधी आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए भी प्रयास किया गया है।

कर व्ययों का आकलन निम्नलिखित संभावनाओं के आधार पर किया गया है:-

- (क) आकलनों और संभावनाओं का आशय छूटें, कटौतियों, भारित कटौतियाँ और इसी प्रकार के उपाय समाप्त किए जाने के मामले में संभावित राजस्व लाभ को इंगित करना है। ये आकलन अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। उन्हें यह मानकर विकसित किया जाता है कि ऐसे उपायों को समाप्त करके अंतर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं किया जाएगा। आर्थिक एजेंटों के व्यवहार के रूप में, विशिष्ट कर तरजीह के उन्मूलन के साथ-साथ समग्र आर्थिक कार्यकलाप या अन्य सरकारी नीतियाँ बदली जा सकती हैं, उस सीमा तक राजस्व निहितार्थ भिन्न हो सकते हैं।
- (ख) प्रत्येक कर प्रोत्साहन का प्रभाव यह मानकर पृथक रूप से विनिश्चित किया जाता है कि कर संबंधी सभी अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहते हैं। तथापि, कर संबंधी अनेक रियायतों का एक दूसरे से संबंध होता है। अतः, कर प्रोत्साहनों का आपसी प्रभाव प्रत्येक उपबंध के लिए आकलनों और संभावनाओं के अभिवर्धन से गणना किए गए कर व्यय से भिन्न हो सकता है।

यद्यपि, राजस्व प्रभाव की कर संबंधी व्यय की दृष्टि से मात्रा निर्धारित की गई है, इसका आशय यह नहीं है कि सरकार द्वारा राजस्व की यह मात्रा छोड़ दी गई है। इसके बजाय, इन्हें कतिपय क्षेत्रों के संवर्धन के लिए लक्षित व्यय के रूप में देखा जा सकता है। कुछ मामलों में, ऐसे आर्थिक और सामाजिक कार्यकलाप जिन्हें ऐसी अप्रत्यक्ष सब्सिडी से प्रोत्साहित किया जाता है, वास्तविक रूप में शुरू नहीं किए जा सकते हैं अथवा ऐसे प्रोत्साहनों के अभाव में उनका स्तर काफी निम्न हो सकता है। भिन्न-भिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण कर व्यय का आकलन करने के लिए अंगीकृत संभावनाएं और पद्धति इस विवरण में प्रासंगिक स्थानों पर इंगित की गई हैं।

प्रत्यक्ष कर

आयकर अधिनियम में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निर्यात, संतुलित क्षेत्रीय विकास; अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के सृजन; रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; सहकारी क्षेत्र, व्यक्तियों द्वारा बचत को प्रोत्साहित करने और धर्मार्थ चंदों को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूंजीगत निवेश के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में त्वरित मूल्यहास का भी प्रावधान किया गया है। इनमें से अधिकांश कर संबंधी लाभ कारपोरेट और कारपोरेट-भिन्न दोनों के ही करदाताओं द्वारा उठाए जा सकते हैं। यह विवरण कारपोरेट क्षेत्र; कारपोरेट-भिन्न क्षेत्र (प्रतिष्ठान, व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय आदि); और व्यक्तिगत/हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब के करदाताओं के संदर्भ में कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव पर पृथक रूप से आकलन करने के लिए एक प्रयास है। धर्मार्थ या सामाजिक प्रयोजन वाले कार्यकलापों में लगे निकायों का ब्यौरा भी "धर्मार्थ निकाय" शीर्षक के तहत पृथक रूप से उपलब्ध कराया गया है। जिन शीर्षकों के तहत राजस्व प्रभाव का आकलन किया गया है वे कंपनियों और प्रतिष्ठानों आदि के लिए मोटे तौर पर समान हैं। व्यष्टियों के मामले में, कतिपय अन्य शीर्षक भी शामिल किए गए हैं क्योंकि ये केवल उनके लिए ही विशिष्ट हैं। कारपोरेट क्षेत्र के लिए भी यह विवरण भिन्न लाभ वाली स्लैबों में कंपनियों के लिए प्रभावी कर दरों के विस्तार का विश्लेषण करता है। प्रभावी कर दरों के क्षेत्रक विश्लेषण का भी प्रयास किया गया है।

क. कारपोरेट क्षेत्र

बड़ा व्यवसाय मुख्य रूप से कंपनियों के रूप में संगठित होता है। वित्त वर्ष 2017-18 [निर्धारण वर्ष 2018-19] के लिए 31 मार्च, 2019 तक आयकर विभाग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से 8,41,687 कारपोरेट विवरणियां प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक कंपनी द्वारा अपनी आयकर संबंधी विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2017-18 की अपनी आय के लिए 4,47,744.14 करोड़ रुपये [प्रभार और शिक्षा उपकर सहित] की कारपोरेट कर देयता सूचित की थी। उन्होंने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान देय लाभांश वितरण कर के रूप में भी 40,369.20 करोड़ रुपये की राशि सूचित की थी। कर व्यय का आकलन करने के प्रयोजनार्थ, इन 8,41,687 कंपनियों¹ से संबंधित आंकड़े विश्लेषण के लिए आंकड़ा आधार पर चुने गए थे और इनका ब्यौरा इस विवरण की सारणी 1 से 5 और परिशिष्ट में दिया गया है।

सारणी-1 सभी लाभ सीमाओं में इन कंपनियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। आंकड़ों का विश्लेषण करने से निम्नलिखित तथ्य उभरकर आते हैं:-

- 3,90,644 कंपनियों (46.41 प्रतिशत) ने करों से पूर्व लाभों के रूप में 15,18,224.34 करोड़ रुपये की राशि और 11,24,393.42 करोड़ रुपये की कुल आय (कर योग्य आय)² सूचित की।
- 3,62,829 कंपनियों (43.11 प्रतिशत) ने हानियों के रूप में 9,08,323.60 करोड़ रुपये की राशि सूचित की।
- 88,214 कंपनियों (10.48 प्रतिशत) ने शून्य लाभ सूचित किया।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए **लाभ सूचित करने वाली कंपनियों के पूर्ण आधार की प्रभावी कर दर³ 29.49 प्रतिशत⁴** थी [वित्त वर्ष 2016-17 में सूचित की गई **26.89** प्रतिशत की दर की तुलना में] जबकि 1 करोड़ रुपये तक आय वाली कंपनियों के मामले में सांविधिक कर दर 30.90 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपये तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.06 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपये से अधिक आय वाली कंपनियों के मामले में 34.61 प्रतिशत थी जिसके परिणामस्वरूप औसतन सांविधिक दर 34.40 प्रतिशत⁵ थी। करों से पूर्व (यहां पीबीटी के पश्चात्) 500 करोड़ रुपये और इससे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों का प्रतिशत कुल पीबीटी का कुल 58.41 प्रतिशत और कुल कारपोरेट आयकर देयता का कुल 52.08 प्रतिशत बैठता था। लाभ सूचित करने वाली कंपनियों के संपूर्ण आधार के लिए 29.49 प्रतिशत की प्रभावी दर, कंपनियों पर लाभ से सम्बद्ध कटौतियां क्रमिक रूप से समाप्त किए जाने और न्यूनतम वैकल्पिक कर (यहां इसके पश्चात् मैट) लगाए जाने के कारण वित्त वर्ष 2016-17 में 26.89 प्रतिशत की प्रभावी कर दर से अधिक है।

500 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाली कंपनियों की औसतन प्रभावी कर दर 26.30 प्रतिशत है। तथापि, औसतन प्रभावी कर दर 10 से 50 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए 29.09 प्रतिशत पर काफी अधिक है। यह बड़ी कंपनियों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी कंपनियों के मामले में पीबीटी से कम अंतर दर्शाता है और बड़ी कंपनियों द्वारा उच्च कर रियायतों का लाभ उठाया जा रहा है।

सारणी 1: कर पूर्व लाभों की रेंज में कंपनियों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2017-18) (कंपनियों की संख्या 8,41,687)

क्र. सं.	कर पूर्व लाभ	कंपनियों की संख्या	कर पूर्व लाभों में शेयर (प्रतिशत में)	कुल आय में शेयर (प्रतिशत में)	कुल कारपोरेट आय-कर देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)	कुल आय एवं कर पूर्व लाभों का अनुपात (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में) (लाभ एवं कर अनुपात)
1.	शून्य से कम	3,62,829	0.00	1.34	1.34	0.00	0.00
2.	शून्य	88,214	0.00	14.38	6.61	0.00	0.00
3.	0-1 करोड़ रुपये	3,45,458	2.72	2.84	2.43	91.71	26.39
4.	1-10 करोड़ रुपये	35,745	7.17	7.13	6.66	87.40	27.38
5.	10-50 करोड़ रुपये	6,670	9.44	8.62	9.31	80.29	29.09
6.	50-100 करोड़ रुपये	1,162	5.41	4.71	5.22	76.44	28.44
7.	100-500 करोड़ रुपये	1,236	16.85	14.54	16.35	75.82	28.62
8.	500 करोड़ रुपये से ज्यादा	373	58.41	46.44	52.08	69.87	26.30
9.	सभी कंपनियां	8,41,687	100	100	100	87.87	29.49*

* उच्च प्रभावी दर कर पूर्व शून्य लाभवाली कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए करों में फैक्ट्रिंग के कारण है।

¹ वित्त वर्ष 2016-17 के लिए नमूना आकार 6,08,836 था।

² आयकर विवरणियों में, 'कुल आय' शब्द, कर योग्य आय का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि सामान्य प्रचलन में अंतर्निहित होगा।

³ कंपनियों के मामले में प्रभावी कर दर करों से पूर्व कुल लाभों [पीबीटी] के लिए कुल करों [प्रभार और शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर छोड़कर] का अनुपात है। और इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया गया है।

⁴ लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 32.15 प्रतिशत थी।

⁵ औसत सांविधिक कर दर 1 करोड़ तक की कुल आय वाली कंपनियों के मामले में 20.90 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपये तक की कुल आय वाली कंपनियों के मामले में 33.06 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपये से अधिक कुल आय वाली कंपनियों के मामले में 34.61 प्रतिशत की दर के भारत औसत को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। वित्त वर्ष 2015-16 में 50 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत की दर के प्रभाव को ध्यान में रखने के पश्चात् यह कम होगी। इसे कारक के रूप में विभक्त नहीं किया गया है। क्योंकि इसका प्रभाव मामूली होगा।

सारणी 2 प्रभावी कर दरों में सैम्पल कंपनियों का विवरण देती है। यह नोट किया गया है कि 20 प्रतिशत तक औसत प्रभावी कर दरों वाली 4,66,942 कंपनियों का कुल लाभ 17.59 प्रतिशत, कुल कर योग्य आय 8.07 प्रतिशत तथा कुल कर 9.20 प्रतिशत बनता है। अन्य शब्दों में, बहुत सी कंपनियों (4,66,942 अर्थात् 55.48 प्रतिशत) ने अपने लाभों की तुलना में गैर-समानुपातिक रूप से कर की कम राशि दी है। दिलचस्प बात यह है कि 5.61 प्रतिशत कुल लाभों वाली तथा 11.98 प्रतिशत कुल कर वाली 34,041 कंपनियों की प्रभावी कर दर है जो लगभग 34.94 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के बराबर है। इससे पता चला है कि कंपनियों की कर देनदारी असमान रूप से बटी हुई है। यह संविधि में मुख्यतः विभिन्न कर वरीयताओं के कारण है।

सारणी 2: प्रभावी कर दरों की रेंज में कंपनियों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2017-18) [कंपनियों की संख्या-841687]

क्र. सं.	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)	कंपनियों की संख्या	कुल लाभों में शेयर (प्रतिशत में)	कुल आय में शेयर (प्रतिशत में)	कुल देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)
1	शून्य से कम और शून्य	3,80,006	3.18	1.57	1.43
2	0-20	86,936	14.41	6.50	7.77
3	20-25	41,118	27.16	16.84	21.76
4	25-30	1,58,190	16.26	18.49	16.38
5	30-33	52,822	33.39	44.62	41.75
6	>33	34,401	5.61	11.98	10.91
7	अनिर्धारित (पीबीटी=0)	88,214	0.00	0.00	0.00
कुल		8,41,687	100.00	100.00	100.00

* प्रभावी कर दर अधिभार और शिक्षा उपकर का समावेश है।

सारणी 3 पब्लिक कंपनियों (केवल पीएसयू) के प्रभावी कर दर की प्राइवेट कंपनियों के प्रभावी कर दर से तुलना करती है। दोनों श्रेणियों के लिए जबकि प्रभावी दर सांविधिक दर से कम है, परन्तु प्राइवेट कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की अपेक्षा अपने लाभों का कुछ अधिक अनुपात कर के रूप में भुगतान करती हैं।

सारणी 3: पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों में कंपनियों की प्रभावी कर दर (वित्तीय वर्ष 2017-18) [कंपनियों की संख्या-841687]

क्र. सं.	सेक्टर	कंपनियों की संख्या	कुल लाभों में शेयर (प्रतिशत में)	कुल कर देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)
1	पब्लिक #	214	16.64	15.11	28.29
2	प्राइवेट	8,41,473	83.36	84.89	29.73
कुल		8,41,687	100.00	100.00	29.49

* प्रभावी कर दर अधिभार और शिक्षा उपकर का समावेश है।

अपनी संबंधित विवरणियों में निर्धारित कंपनियों (पीएसयू) के रूप में द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर।

सारणी 4 कंपनियों की संदर्भ में विनिर्माण क्षेत्रों अन्य क्षेत्रों की प्रभावी कर दर के बीच तुलना को दर्शाती है। विनिर्माण क्षेत्र की 27.83 प्रतिशत की प्रभावी कर दर की तुलना में गैर-विनिर्माण क्षेत्रों की प्रभावी कर दर ज्यादा है जो 30-55 प्रतिशत है। दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर है जो 30-40 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर से काफी कम है।

सारणी 4: विनिर्माण और गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर*
(वित्तीय वर्ष 2018-19) [कंपनियों की संख्या-8,41,687]

क्र.सं.	क्षेत्र	कंपनियों की संख्या	कुल लाभ में हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	कुल कर देनदारी में हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)
1.	विनिर्माण	1,30,676	38.92	36.74	27.83
2.	गैर-विनिर्माण	7,11,011	61.08	63.26	30.55
	कुल	8,41,687	100.00	100.00	29.49

* प्रभावी कर दर अधिभार और शिक्षा उपकर का समावेश है।

सारणी 5 वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान कर व्यय के अर्थ में कारपोरेट करदाताओं के संदर्भ में मुख्य कर व्यय के ब्यौरे को दर्शाती है। यह विश्लेषण 31, मार्च, 2019 तक दायर की गई कारपोरेट विवरणियों पर आधारित है। इन कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई कर छूट का राजस्व प्रभाव प्रत्येक कटौती की राशि पर 34.0 प्रतिशत की औसत सांविधिक कारपोरेट कर दर लागू करके परिकलित किया गया है। त्वरित मूल्य ह्रास का राजस्व प्रभाव, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की कटौती/भारित कटौती का परिकलन पहले कंपनियों द्वारा लाभ/हानि खाते में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास/कटौती तथा आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमति प्राप्त मूल्यह्रास /कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके किया गया है। इसके बाद कर व्यय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए इस अंतर पर 34.40 प्रतिशत की औसत कारपोरेट कर दर लागू की गई है।

कर व्यय का दूसरा पक्ष कर आस्थगन है। कर आस्थगन तब होता है जब करदाता, कर संविधि के अंतर्गत उच्च कटौतियों की अनुमति मिलने के कारण कम समयावधि में कटौती के रूप में किसी भत्ते (अर्थात् मूल्यह्रास भत्ते) का दावा करके अपनी कर देनदारी को आस्थगित करने में सक्षम होता है जबकि वह अपने खाते में बहुत से वर्षों से उसी मूल्यह्रास दावे को डाल रहा होता है। चूंकि मूल्यह्रास में नकद व्यय जरूरी नहीं होता है, अतः यह कर आस्थगन है। दूसरी ओर, कर संविधि के अंतर्गत कंपनियों पर एमएटी (कुछ सामंजस्यों के अध्येधीन) अपने शेयरधारकों को कंपनी द्वारा सूचित लाभ पर, देनदारी (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 20.90 प्रतिशत की दर पर जिसमें दर्ज लाभों पर उपकर और अधिभार का समावेश है) में तेजी लाता है, यदि यह देनदारी सामान्य दरों पर परिकलित कर देनदारी से अधिक है। एमएटी के कारण अधिक देनदारी बाद के उस वर्ष में (15 वर्षों तक) क्रेडिट के रूप में अनुमत है जिसमें सामान्य कर देनदारी एमएटी से अधिक है। अतः एमएटी के कारण भुगतान किया गया अतिरिक्त कर भावी कर देनदारी का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्यह्रास के दावों के कारण करों की आस्थगन अवधि को सीमित करता है तथा लंबी समयावधि में समान दावे को जमा करके अन्य कटौतियों जैसे लाभ से संबंधित कटौतियों के राजस्व प्रभाव को नियंत्रित करता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कर व्यय संबंधी आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर व्यय प्रस्तावित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को वर्ष के लिए अनंतिम राजस्व संग्रह के अनुसार 2018-19 में कारपोरेट कर वृद्धि के साथ गुणा करके 2018-19 के लिए अनुमान लगाया गया है।

सारणी 5 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कर व्यय के अर्थ में कारपोरेट करदाताओं के संदर्भ में मुख्य कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुमान को दर्शाती है।

सारणी 5: कारपोरेट करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव
वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 [कंपनियों की संख्या-8,41,687]

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) [2017-18]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) [2018-19]
1	एसईजेड में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10ए और 10एए)	20,917.63	24,300.22
2	त्वरित मूल्यह्रास (धारा 32)	58,326.25	67,758.18
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2एए) और (2एबी))	6,832.02	7,936.82
4	विशिष्ट कारोबार के संदर्भ में कटौती (धारा 35एडी)	1,780.70	2,068.66
5	धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को दान के कारण कटौती (धारा 80जी)	1,860.11	2,160.90
6	राजनैतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80जीबी)	133.36	154.93

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) [2017-18]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) [2018-19]
7	अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-आईए)	6,841.97	7,948.38
8	एसईजेड तथा औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-आईए)	364.59	423.55
9	दूर संचार सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-आईए)	43.38	50.39
10	विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-आईए)	13,156.97	15,284.58
11	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-आईए)	166.70	193.65
12	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-आईएबी)	1,198.14	1,391.89
13	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-आईबी)	77.68	90.24
14	जम्मू और कश्मीर से इतर औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों में लाभों में कटौती (धारा 80-1ख)	34.69	40.30
15	औद्योगिक उपक्रमों को खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से होने वाले लाभों में कटौती (धारा 80-1ख)	1,098.04	1,275.60
16	औद्योगिक उपक्रमों को आवासीय परियोजनाओं से होने वाले लाभों में कटौती (धारा 80-1ख)	55.21	64.14
17	औद्योगिक उपक्रमों को गोल्ड चेक सुविधा के प्रचालन से होने वाले लाभों में कटौती (धारा 80-1ख)	8.47	9.84
18	औद्योगिक उपक्रमों को खाद्यान्नों के हैंडलिंग, स्टोर और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से होने वाले लाभों में कटौती (धारा 80-1ख)	62.69	72.83
19	औद्योगिक उपक्रमों को फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिक्षण और पैकेजिंग से होने वाले लाभों में कटौती (धारा 80-1ख)	238.50	277.07
20	औद्योगिक उपक्रमों को ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल से होने वाले लाभों में कटौती (धारा 80-1ख)	2.12	2.47
21	आवासीय परियोजनाओं से लाभों और आय में कटौती (धारा 80-1खक)	55.77	64.79
22	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों में कटौती (धारा 80-1ग)	1,191.59	1,384.28
23	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों में कटौती (धारा 80-1ग)	2,320.94	2,696.26
24	उत्तराखंड में स्थापित उपक्रमों के लाभों में कटौती (धारा 80-1ग)	1,798.33	2,089.14
25	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों में कटौती (धारा 80-1ग)	473.90	550.54
26	बायोडीग्रेडेबल अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के व्यवसाय से होने वाले लाभों में कटौती (धारा 180जेजेए)	18.03	20.95
27	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 180जेजेए)	738.50	857.92
28	ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (धारा 80 एलए)	273.40	317.61
	कुल	1,20,069.67	1,39,486.12
	घटाएं-एमएटी के कारण अतिरिक्त कर देनदारी	41,792.21	
	दावा किए गए एमएटी क्रेडिट को घटाकर	15,365.04	
	एमएटी के कारण निवल अतिरिक्त कर	26,427.17	30,700.70
	कुल परित्यक्त राजस्व	93,642.50	1,08,785.41

चूंकि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानित कर व्यय का आंकड़ा (विशिष्ट रूप से एमएटी भुगतान के कारण अतिरिक्त कर का आंकड़ा) विगत वर्ष के विवरण में अनुमानित किया गया था जो ₹1,33,953.59 करोड़ था, अब यह वास्तव में ₹1,20,069.67 करोड़ पर परिकलित किया गया है। एमएटी के परिणाम के रूप में संग्रहित अतिरिक्त कर को ध्यान में रखते हुए, कर प्रोत्साहनों की वास्तविक राजस्व देयता विगत वर्ष के विवरण में अनुमानित ₹85,026.11 करोड़ के कर व्यय के सापेक्ष काफी अधिक ₹93,642.50 करोड़ है) वह शीर्ष द्रुत मूल्य ह्रास है जिसके अंतर्गत कर प्रोत्साहनों की उच्चतम राशि (₹58,326.25 करोड़) दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष आर्थिक जोनों (एसईजे) में अव्यवस्थित इकाइयों, विद्युत के सृजन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों, अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों और खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के उत्पादन में लगे उपक्रमों द्वारा प्राप्त की गई छूटें कुल कर प्रोत्साहन का बहुत बड़ा भाग है।

कंपनियों के प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरण के परिशिष्ट में सारणी में दिया गया है। निम्न रेंज पर, यूरेनियम और थोरियम अयस्कों को छोड़कर अलौह धातु अयस्कों के खनन और कृषि, पशुपालन और वानिकी क्षेत्र के लिए प्रभावी कर दर क्रमशः 15.66 प्रतिशत और 16.55 प्रतिशत है। इसी तरह, जल के संग्रहण, शुद्धिकरण और वितरण तथा बिजली, गैस और जल क्षेत्र के उप-क्षेत्र के लिए प्रभावी कर दर 17.33 प्रतिशत है जो कि औसत प्रभावी कर दर से कम है।

ख. गैर-कार्पोरेट क्षेत्र (फर्म/एओपी/बीओआई आदि)

कार्पोरेट क्षेत्र के अलावा, बड़ा व्यवसाय साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के संघ (एओपी) या व्यष्टियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी संगठित है। इन पर कर व्यय इतना बड़ा नहीं होता जितना कि कंपनियों के मामले में होता है। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2017-18 की आय के लिए 31 मार्च, 2018 तक इलैक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज 14,38,378 विवरणियां प्राप्त हुई हैं। कर व्यय का आकलन करने के उद्देश्य से इन 14,38,378 फर्मों/एओपी/बीओआई के आंकड़ों का डाटा बेस से छांटा गया है। ये सभी, वित्तीय वर्ष 2017-18 में फर्मों/एओपी/बीओआई की दुनिया द्वारा प्रदत्त कुल कर के बहुत बड़े भाग के लिए उत्तरदायी हैं।

आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:-

- * समूची फर्मों/एओपी/बीओआई ने ₹1,95,608.53 करोड़ के कर पूर्व लाभों की जानकारी दी और ₹1,76,904.88 करोड़ की कुल आय (कर योग्य आय) घोषित की। हानियों की रिपोर्ट 2,43,056 विवरणियों के द्वारा दी गई थी जो कि कुल का 16.90 प्रतिशत है।
- * इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए देय आयकर (शिक्षा उपकर सहित) के रूप में ₹52,736.80 करोड़ की जानकारी दी।

फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावा की गई प्रत्येक कर रियायत की राजस्व देयता को प्रत्येक छूट (कटौती) की राशि पर 30.98 प्रतिशत (एक करोड़ से कम की आय वाली फर्मों के लिए 30.90 प्रतिशत तथा एक करोड़ से अधिक की आय वाली फर्मों के लिए 34.61 प्रतिशत की दर लेते हुए परिकलित की गई भारत औसत दर) की आय कर दर लागू करते हुए परिकलित किया गया है। द्रुत मूल्यह्रास के कारण कर व्यय, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती को सर्वप्रथम फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा लाभ और हानि के खातों से घटाए गए मूल्यह्रास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत अनुमत्य मूल्यह्रास/कटौती के बीच के अंतर का निर्धारण करके परिकलित किया गया है।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन की राजस्व देयता के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व देयता का प्रेक्षण किया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए अनुमान को, वर्ष 2018-19 में संग्रहित आयकर के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार आयकर संग्रहणों और वर्ष 2017-18 में संग्रहित वास्तविक आयकर के बीच का अनुपात निकालकर और फिर इसी अनुपात को वर्ष 2017-18 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण होने वाले कर व्यय पर लागू करके निकाला गया है।

सारणी 6 में वित्तीय वर्षों 2017-18 और 2018-19 के दौरान कर व्यय के अनुसार गैर-कार्पोरेट करदाताओं पर बड़े कर-व्ययों को दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 की तरह, सहकारी सोसायटियों के लाभों की कटौती के कारण कर व्यय उच्चतम स्तर पर बना रहा जो कुल राजस्व देयता का 56.27 प्रतिशत रहा जबकि विगत वित्तीय वर्ष में यह मात्र 43.14 प्रतिशत था। एसईजेड में अवस्थित इकाइयों द्वारा अर्जित लाभों पर छूट के कारण कर व्यय कुल राजस्व देयता का 7.59 प्रतिशत था।

गैर-कार्पोरेट क्षेत्र अर्थात फर्मों; एओपी/बीओआई के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 का कुल कर व्यय ₹6,109.28 करोड़ बनता है। सारणी 6 में वित्तीय वर्षों 2017-18 और 2018-19 के दौरान कर व्यय के अनुसार गैर-कार्पोरेट कर दाताओं पर हुए बड़े कर व्ययों को दर्शाया गया है।

सारणी 6: गैर कार्पोरेट (फर्मों/एओपी/बीओआई) करदाताओं के लिए वित्तीय वर्षों 2017-18 और 2019-19 के बड़े कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2017-18]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]
1	एसईजेड में अवस्थित इकाइयों के निर्यात लाभों पर कटौती धारा (धारा 10क और 10कक)	463.64	538.46
2	द्रुत मूल्यह्रास	988.21	1,147.67
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय हेतु कटौती/भारित कटौती (धारा 35(i), (2कक) और (2कख)	11.77	13.67
4	विनिर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती 35कघ	36.86	42.81
5	चेरीटेबल ट्रस्टों और संस्थानों को दिए गए दानों पर कटौती (धारा 80छ)	90.03	104.56
6	राजनीतिक पार्टियों को दिए गए अंशदानों पर कटौती (धारा 80छगग)	19.47	22.62

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2017-18]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]
7	अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा 80स्क)	114.05	132.45
8	एसईजेड के विकास और औद्योगिक पार्कों में लगे उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा 80-1क)	13.90	16.14
9	विद्युत के सृजन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा80-1क)	338.29	392.87
10	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभ पर कटौती (धारा 80-1क)	8.53	9.91
11	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80-1ख)	50.59	58.76
12	जम्मू और कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा 80-1ख)	8.82	10.25
13	जम्मू और कश्मीर से इतर औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा 80-1ख)	0.47	0.54
14	पिछड़े जिलों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर छूटकटौती (धारा 80-1ख)	0.98	1.14
15	औद्योगिक उपक्रमों द्वारा आवासीय परियोजनाओं से अर्जित किए गए लाभों पर कटौती (धारा 80-1ख)	75.76	87.98
16	आवासीय परियोजनाओं से अर्जित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा 80-1ख)	2.63	3.05
17	खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन के समेकित कारोबार से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1ख)	3.51	4.08
18	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिवहन और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1ख)	19.71	22.89
19	आवासीय परियोजनाओं से लाभों की कटौती (धारा-80-1ख)	31.88	37.03
20	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-1ख)	150.68	174.99
21	सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-1ख)	41.64	48.36
22	उत्तराखंड पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-1ख)	83.25	96.69
23	हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-1ख)	100.32	116.51
24	जैविक कूड़े के संग्रहण और प्रसंस्करण के कारोबार से प्राप्त लाभ की कटौती (धारा-80-1ख)	5.54	6.43
25	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा-80-जजकक)	10.26	11.92
26	विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) तथा अंतरराष्ट्रीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) के कतिपय आय के संबंध में कटौती (धारा-80-ठक)	1.08	1.26
27	सहकारी संस्थाओं के लाभों के संदर्भ में कटौती (धारा 80प)	3,437.40	3,992.07
जोड़		6,109.28	7,095.09

ग. व्यक्ति/हिंदू संयुक्त परिवार (एचयूएफ) करदाता

आयकर अधिनियम के अध्याय vi-क में कतिपय भुगतानों और कतिपय आयों पर कटौती की व्यवस्था की गई है। व्यक्ति/एचयूएफ करदाता इन कटौतियों के दावे के लिए पात्र हैं तथा उनके लिए अनेक कर विकल्प उपलब्ध हैं। तथापि, चूंकि 50 प्रतिशत से अधिक करदाता अपनी आय वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ आधारित कटौती (अर्थात् कतिपय कारोबार से प्राप्त आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर वैतनिक व्यक्ति दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा कर सकते हैं।

व्यक्ति करदाताओं को अनुमेय कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को सारणी 7 में प्रस्तुत किया गया है। आयकर अधिनियम के अध्याय vi -क की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर प्रभाव को व्यक्तियों द्वारा आयकर विभाग में 31 मार्च 2019 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत 5,89,18,404 विवरणियों में कर विकल्पों के विभिन्न दावों के आधार पर परिकलित किया गया है। अध्याय vi-क के अंतर्गत कटौतियों के अलावा वित्त वर्ष 2017-18 में व्यक्ति करदाताओं पर अन्य भारी

कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष अथवा अधिक आयु वाले व्यक्ति) के लिए 3,00,000 रुपये की उच्चतम बुनियादी छूट सीमा और वरिष्ठतम नागरिकों (80 वर्ष अथवा अधिक आयु वाले व्यक्ति) के लिए 5,00,000 तक बढ़ाई गई छूट सीमा के कारण था।

कुल 5,89,18,404 आय विवरणियों के आंकड़ों के आधार पर करदाताओं की पूरी जनसंख्या के लिए कर व्यय का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है:-

- (i) ऊपर उल्लिखित के अनुसार सारणी 7 की (क्रम संख्या 27 और 28) उच्चतम बुनियादी छूट सीमाओं के राजस्व प्रभाव को प्रति वरिष्ठ नागरिकों और वरिष्ठतम नागरिकों के कर व्यय को उनकी संबंधित संख्या के साथ गुना करके परिकलित किया गया है। इन विवरणियों के आंकड़ों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 10.50 प्रतिशत विवरणियां प्रस्तुत की गईं और वरिष्ठतम नागरिकों द्वारा 0.62 प्रतिशत विवरणियां प्रस्तुत की गईं। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध उच्चतम छूट सीमा के राजस्व प्रभाव को 2,50,000 रुपये की सामान्य छूट सीमा की तुलना में उच्चतम बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 3,00,000 रुपये) के बीच अंतर पर विचार करते हुए और अंतर पर 5 प्रतिशत (जमा उपकर) की न्यूनतम कर दर को प्रयुक्त करते हुए परिकलित किया गया है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए कर व्यय 2,575 रुपये (उपकर सहित) है। वरिष्ठतम नागरिकों के लिए, 5,00,000 लाख की छूट सीमा तथा ऐसी आय पर आकलित कर 12,875 रुपये (उपकर सहित) बनता है जिसका भुगतान 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना होता है। प्रत्येक वरिष्ठतम नागरिक के संदर्भ में इसे राजस्व प्रभाव माना गया है।
- (ii) वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर व्यय का अनुमान लगाया गया है। 2018-19 के लिए अनुमान 2018-19 के लिए संग्रहित वास्तविक व्यष्टि आयकर के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार व्यष्टि आयकर संग्रहण और वर्ष 2017-18 में संग्रहित वास्तविक व्यष्टि आयकर के अनुपात का परिकलन करने के पश्चात् 2017-18 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय के उसी अनुपात को प्रयुक्त करके किया गया है। चूंकि धारा 80 गगछ के अंतर्गत कटौती बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए वित्त वर्ष 2018-19 में नया दावा नहीं होगा। अतः इस धारा के अंतर्गत अनुमानित राजस्व प्रभाव को 10 प्रतिशत घटाकर परिकलित किया गया है।

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार सारणी 7 में वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान कर व्यय के संदर्भ में व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का चित्रण किया गया है।

**सारणी 7 : व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव
वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19**

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2017-18]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]
1	कतिपय निवेश और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	64,789.97	75,244.62
2	कतिपय पेंशन कोष में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	320.29	371.98
3	नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगघा)	2,726.96	3,166.98
4	आरजीईएसएस में निवेश के कारण कटौती (धारा 80गगच)	40.05	36.04
5	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में निवेश के कारण कटौती (धारा 80घ)	3,117.97	3,621.09
6	दिव्यांग आश्रित की चिकित्सा पर व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघ)	553.01	642.25
7	विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा पर व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघख)	456.14	529.74
8	उच्चतर शिक्षा के हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ड)	700.13	813.10
9	आवास हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80डड)	228.95	265.89
10	धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को किए गए दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	641.72	745.26
11	आवास के लिए प्रदत्त किराए के कारण कटौती (धारा 80छछ)	1,465.78	1,702.30
12	वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान देने पर कटौती (धारा 80छछक)	44.80	52.03
13	राजनैतिक पार्टियों को दिए गए अंशदान पर कटौती (धारा 80छछग)	169.56	196.92
14	अवसंरचना सुविधाओं, एसईजेड तथा औद्योगिक पार्क के विकास, बिजली निर्माण तथा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के कार्य में लगे उपकरणों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	75.69	87.91

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2017-18]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]
15	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में कार्यरत उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झकख)	0.15	0.17
16	आवासीय परियोजनाओं के लाभों की कटौती (धारा 80झखक)	10.55	12.25
17	आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल का उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास, खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन से लाभ कमाने वाले औद्योगिक उपक्रमों तथा जम्मू और कश्मीर और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	30.59	35.53
18	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल तथा हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	89.61	104.07
19	विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में होटलों, सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)
20	जैविक कूड़े के संग्रहण और प्रसंस्करण के कारोबार से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80जजक)	6.28	7.29
21	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80जजकक)	2.59	3.01
22	पाठ्यपुस्तकों को छोड़कर कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रायल्टी आय की कटौती में (धारा 80भभक)	12.42	14.42
23	पेंटेड पर रायल्टी आय की कटौती (धारा 80ययक)	1.11	1.29
24	बचत खाते पर ब्याज की कटौती (धारा 80ययक)	1,474.70	1,712.66
25	दिव्यांग व्यक्ति के मामले में कटौती (धारा 80र)	402.01	466.88
26	धारा 87ख के अंतर्गत छूट	4,775.51	5,546.10
27	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्चतम छूट सीमा	1,333.13	1,548.25
28	वरिष्ठतम नागरिकों के लिए उच्चतम सीमा छूट	358.25	416.05
जोड़		83,827.92	97,344.11

विभिन्न बचत लिखतों में निवेश करने, आवास ऋण की अदायगी तथा बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत शामिल हैं) के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करने के कारण राजस्व प्रभाव व्यष्टि करदाताओं के मामले में सबसे बड़ा एकल कर व्यय है जिसके बाद 5 लाख रुपये तक आय वाले निवासी भारतीयों के मामले में कर पर छूट तथा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर कटौती का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्चतम बुनियादी छूट सीमाओं के कारण कर व्यय भी महत्वपूर्ण है। लाभ आधारित कटौतियों के मामले में उच्च कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-1ग के कारण है।

घ. धर्मार्थ निकाय

आयकर अधिनियम में सरकार द्वारा निधि पोषित धर्मार्थ प्रवृत्ति के कार्य में लगे निकाय सहित विभिन्न निकायों को छूट देने का उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक प्रयोजनों को पूरा करने वाली कतिपय क्रिया-कलापों में लगे निकायों के लिए विशिष्ट छूट भी उपलब्ध है। इन निकायों को दान, स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त होते हैं और धर्मार्थ प्रकृति के क्रिया-कलापों से अन्य आय प्राप्त होती है। ऐसी निकायों की कुल प्राप्तियों को उन प्रयोजनों के लिए लागू करने की अपेक्षा है जिनके लिए इनकी स्थापना की गई है। इन निकायों के लिए आयकर विवरणी फाइल करना अपेक्षित है। 31 मार्च, 2031 तक ऐसी निकायों की इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल की गई विवरणियों की कुल संख्या, वित्त वर्ष 2018 के दौरान 2,18,787 है। भारत में धर्मार्थ और धार्मिक प्रयोजनों के लिए ऐसी निकायों द्वारा आवेदित कुल राशि 5,03,782.98 करोड़ रुपए है।

परिशिष्ट

उद्योगों के बीच अधिभार और शिक्षा उपकर सहित कम्पनियों की प्रभावी कर दर
(वित्त वर्ष 2017-18) (कम्पनियों की संख्या - 8,41,687)

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर
1.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	कृषि और पशुपालन सेवाएं	3,656	1,544.61	495.35	32.07
2.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	कुकुट और अण्डा उत्पादन बढ़ाना	521	1,453.13	440.74	30.33
3.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	चाय की खेती और विनिर्माण	1,384	985.69	268.02	27.19
4.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	अवर्गिकृत सहित अन्य	6,528	2,435.28	403.06	16.55
6.	मत्स्य पालन	समुद्री और ताजा पाना संबंधी मत्स्य पालन सेवाएं	238	57.79	21.75	37.64
7.	मत्स्य पालन	मात्स्यिकी, मत्स्य हैचरी और मत्स्यपालन	100	23.43	5.78	24.66
8.	मत्स्य पालन	अन्य	336	255.42	87.60	34.30
10.	खनन और उत्खनन	कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण	138	37,312.35	7,598.45	20.36
11.	खनन और उत्खनन	खनन और कठोर कोयले का संचयन	204	18,889.68	7,069.69	37.43
12.	खनन और उत्खनन	अधात्विक अयस्क का खनन, यूरेनियम और थोरियम को छोड़कर	49	21,922.47	3,432.71	15.66
13.	खनन और उत्खनन	लोह अयस्क का खनन	200	8,997.16	3,161.20	35.14
14.	खनन और उत्खनन	अन्य	3,117	8,372.53	2,484.68	29.68
16.	विनिर्माण	परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	319	1,16,069.72	25,080.30	21.61
17.	विनिर्माण	भेषज, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का विनिर्माण	5,440	53,361.78	13,529.33	25.35
18.	विनिर्माण	मोटर वाहनों का विनिर्माण	266	33,800.33	10,295.05	30.46
19.	विनिर्माण	मोटर वाहनों और इंजनों के कलपूजों और सहायक कलपूजों का विनिर्माण	3,063	30,292.52	9,512.84	31.40
20.	विनिर्माण	इस्पात उत्पादन का विनिर्माण	3,981	26,714.47	7,314.72	27.38
21.	विनिर्माण	अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	3,522	21,417.81	6,564.78	30.65
22.	विनिर्माण	तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण	337	18,898.73	6,216.28	32.89
23.	विनिर्माण	वस्त्रों का विनिर्माण (हस्तकरघा द्वारा निर्मित को छोड़कर)	8,481	13,526.36	3,740.47	27.65

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर
24.	विनिर्माण	मशीनरी और उपकरण	1,970	12,330.21	3,306.40	26.82
25.	विनिर्माण	सीमेंट, चूना और पलस्तर का विनिर्माण	655	14,747.34	3,288.06	22.30
26.	विनिर्माण	अन्य खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	3,458	8,002.33	2,616.18	32.69
27.	विनिर्माण	रेडियो, टेलीविजन, संचार उपकरणों और उपकरणों का विनिर्माण	221	7,718.99	2,581.14	33.44
28.	विनिर्माण	साबुन और डिटर्जेंट का विनिर्माण	254	8,752.34	2,440.67	27.89
29.	विनिर्माण	उर्वरकों और नाइट्रोजन मिश्रणों का विनिर्माण	1,030	7,343.88	2,043.36	27.82
30.	विनिर्माण	रबर उत्पादों का विनिर्माण	1,056	6,900.27	2,024.91	29.35
31.	विनिर्माण	पेंट्स, रंग-सोगन और इसी प्रकार के कोटिंग का विनिर्माण	694	5,691.93	1,938.32	34.05
32.	विनिर्माण	प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	2,777	4,242.09	1,258.51	29.67
33.	विनिर्माण	कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण	2,396	4,283.11	1,185.85	27.69
34.	विनिर्माण	इंजन और टर्बाइन का विनिर्माण	209	3,748.14	1,179.84	31.48
35.	विनिर्माण	अवर्गीकृत सहित अन्य	90,547	1,93,120.20	58,373.15	30.23
37.	बिजली, गैस और पानी	बिजली उत्पादों, संग्रहण और वितरण	4,371	50,649.30	10,612.51	20.95
38.	बिजली, गैस और पानी	गैस का विनिर्माण और वितरण	228	8,905.34	2,086.25	23.43
39.	बिजली, गैस और पानी	पानी का संग्रहण, शुद्धिकरण और वितरण	105	168.84	29.30	17.36
40.	बिजली, गैस और पानी	अन्य अनिवार्य वस्तु सेवाएं एन.ई.सी.	2,353	924.69	278.99	30.17
42.	निर्माण	सड़कों, रेलों, पुलों, सुरंगों, पत्तनों, बंदरगाहों, रनवेज आदि का निर्माण और रखरखाव	4,252	20,837.57	5,619.28	26.97
43.	निर्माण	भवन का पूर्ण निर्माण या भाग सिविल संविदाकार	19,143	11,000.76	3,528.89	32.08
44.	निर्माण	अवर्गीकृत सहित अन्य	47,361	23,437.69	8,095.76	34.54
46.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	स्थावर संपदा का विकास और लॉट में उपविभाजन	9,376	4,326.59	1,371.32	31.70

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर
47.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	अपने स्वामित्व के भवनों के स्थावर संपदा का प्रचालन (रिहायशी और गैर-रिहायशी)	3,511	5,203.91	1,259.74	24.21
48.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	भवनों की खरीद बिक्री और पट्टे पर देना (रिहायशी और गैर-रिहायशी)	5,639	2,733.82	627.68	22.96
49.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	शुल्क या संविदा आधार पर स्थावर संपदा संबंधी क्रिया-कलाप	5,461	1,000.29	323.77	32.37
50.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	अन्य स्थावर संपदा/किराए पर देने की सेवाएं एन.ई.सी.	35,086	12,121.35	3,131.12	25.83
52.	मशीनरी को किराए पर देना	मशीनरी को किराए पर देना	1,676	493.22	170.08	34.48
54.	थोक और खुदरा व्यापार	मोटर कलपूर्जों और सहायक पूर्जों की थोक और खुदरा बिक्री	1,202	11,724.79	3,431.90	29.27
55.	थोक और खुदरा व्यापार	इलेक्ट्रॉनिक पूर्जों और उपकरणों की थोक बिक्री	2,671	3,645.30	1,238.71	33.98
56.	थोक और खुदरा व्यापार	कपड़ों, परिधान, जूते-चप्पल, चमड़ा सामानों की थोक बिक्री	5,066	2,925.88	1,042.95	35.65
57.	थोक और खुदरा व्यापार	मोटर वाहनों की थोक और खुदरा बिक्री	3,103	2,410.09	786.70	32.64
58.	थोक और खुदरा व्यापार	अन्य मशीनरी और उपकरण की थोक बिक्री और आपूर्ति	2,212	1,482.38	570.66	38.50
59.	थोक और खुदरा व्यापार	अवर्गीकृत को छोड़कर अन्य	1,44,377	54,094.72	16,812.18	31.08
61.	होटल, रेस्तरां और आतिथ्य सेवाएं	होटल, रेस्तरां और आतिथ्य सेवाएं	17,327	6,214.99	1,722.73	27.72
63.	परिवहन और संचार सेवाएं	हवाई परिवहन	313	4,784.69	970.52	20.28
64.	परिवहन और संचार सेवाएं	सड़क द्वारा मालभाड़ा परिवहन	3,370	1,774.93	604.60	34.06
65.	परिवहन और संचार सेवाएं	अवर्गीकृत सहित अन्य	14,673	12,913.64	4,009.04	31.04
67.	डाक और दूरसंचार सेवाएं	डाक और दूरसंचार सेवाएं	2,012	18,438.37	4,679.28	25.38
69.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक बैंक, बचत बैंक और छूट संस्थाएं	222	80,775.34	32,585.12	40.34
70.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक ऋण क्रिया-कलाप	2,089	31,595.18	10,284.25	32.55
71.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	आवास वित्तपोषण क्रिया-कलाप	198	25,151.93	6,932.36	27.56
72.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	अवर्गीकृत सहित अन्य	46,257	1,32,758.42	44,524.26	33.54
74.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	सॉफ्टवेयर विकास	19,005	1,22,827.43	32,794.78	26.70

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर
75.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	अन्य आईटी समर्थित सेवाएं	18,649	41,674.62	13,873.31	33.29
76.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	बीपीओ सेवाएं	2,524	5,436.83	1,716.59	31.57
77.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	अन्य	11,843	3,995.62	1,505.49	37.68
79.	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	1,160	806.30	332.40	41.23
81.	पेशा	इंजीनियरी और तकनीकी परामर्शी	3,501	4,077.46	1,566.41	38.42
82.	पेशा	व्यवसाय और प्रबंधन परामर्शी क्रिया-कलाप	5,943	2,054.02	691.07	33.64
83.	पेशा	विज्ञापन	2,359	1,561.15	525.76	33.68
84.	पेशा	वास्तुकला पेशा	921	289.87	101.44	34.99
85.	पेशा	अवर्गीकृत सहित अन्य	24,648	4,302.03	1,292.57	30.05
87.	शिक्षा सेवाएं	कोचिंग केन्द्र और ट्यूशन	2,243	605.74	173.25	28.60
88.	शिक्षा सेवाएं	प्राथमिक शिक्षा	485	226.37	66.71	29.47
89.	शिक्षा सेवाएं	अवर्गीकृत सहित अन्य	5,597	1,120.54	395.02	35.25
91.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	1,740	2,411.63	817.19	33.89
92.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	नैदानिक केन्द्र	1,209	917.35	301.89	32.91
93.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	अन्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	3,702	756.62	243.43	32.17
94.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	सामान्य अस्पताल	1,796	637.10	192.14	30.16
95.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	अन्य	4,856	1,020.68	324.73	31.81
97.	सामाजिक और सामुदायिक कार्य	सामाजिक और सामुदायिक कार्य	1,742	74.65	22.37	29.97
99.	संस्कृति एवं खेलकूद	टेलीविजन चैनल प्रसारण	498	7,454.32	2,201.12	29.53
100.	संस्कृति एवं खेलकूद	चलचित्र निर्माण	1,156	1,157.46	366.60	31.67
101.	संस्कृति एवं खेलकूद	अवर्गीकृत सहित अन्य	3,825	1,893.22	701.60	37.06
103.	अन्य सेवाएं	अन्य सेवाएं	1,91,410	87,202.40	30,244.89	34.68
105.	प्रदेश बाह्य संगठन और निकाय	आईएमएफ, विश्व बैंक, यूरोपीय आयोग	74	14.86	4.28	28.80
जोड़			8,41,687	15,18,224.34	4,47,744.14	29.49

एन.ई.सी. = और कहीं अवर्गीकृत नहीं

वर्ष 2017-18 और 2018-19 तक की अवधि के लिए सीमा शुल्क हेतु कर प्रोत्साहनों की राजस्व करदेयता का विवरण

माल पर सीमा शुल्क सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे सामान्यतः बुनियादी सीमा-शुल्क - बीसीडी के रूप में जाना जाता है) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत लगाया जाता है। निर्यात शुल्क को भी कतिपय मदों पर सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है।

2.1 सीमा-प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में अलग-अलग प्रशुल्क लाइनों में विनिर्दिष्ट इन दरों को सामान्यतः "प्रशुल्क दरें" कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या संबंधित वित्त अधिनियम, केंद्र सरकार को [सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के तहत, जो कि विभिन्न वित्त अधिनियमों के तहत लगाए गए शुल्कों पर भी लागू है], अधिसूचनाओं के माध्यम से, प्रशुल्क दरों से कम दरों पर शुल्क दरें विहित करने का अधिकार प्रदान करता है। इन छूट संबंधी अधिसूचनाओं के माध्यम से विहित इन दरों को "प्रभावी दरें" कहा जाता है।

2.2 इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा जारी छूट संबंधी अधिसूचनाओं को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है,

(क) सशर्त छूट संबंधी अधिसूचनाएं ; और

(ख) शर्तहीन छूट संबंधी अधिसूचनाएं।

2.3 शर्तहीन छूट संबंधी अधिसूचनाओं में किसी वस्तु के लिए शुल्क की सामान्य प्रभावी दरें विहित की जाती हैं। यह दर बिना किसी शर्त के उस वस्तु के सभी आयातों पर लागू होती है। अन्य शब्दों में, ऐसी शर्तहीन छूटों में वस्तु; किसी वस्तु के लिए एमएफएन दर विहित की जाती है।

2.4 दूसरी ओर, सशर्त छूटों में, कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्चतर प्रशुल्क दर या एमएफएन दर के सापेक्ष प्रभावी दरें विहित की जाती हैं। इस तरह की सशर्त अधिसूचनाएं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए होती हैं जैसे कि घरेलू विनिर्माण, रक्षा प्रापण आदि को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे मामलों में, केवल वही आयात इन प्रभावी दरों के लिए पात्र होते हैं जो इन दरों के लिए विहित शर्तों को पूरा करते हैं। अतः इन छूटों की परिणति संबंधित प्रशुल्क, एमएफएन दर के सापेक्ष परित्यक्त राजस्व के रूप में होती है।

2.5 कतिपय छूटें कच्ची सामग्रियों के प्रापणों के लिए प्रदान की गई हैं और निर्विष्टियां निर्यात माल में जाती हैं। अतः इन छूटों में निर्यातों की शून्य दरों के लिए निर्यातों के करों को केवल निष्प्रभावी करने का प्रावधान है। निर्यातों की दरों को शून्य करने के उद्देश्य के कारण, इन रियायतों की परिणति बीसीडी छूटों के चलते परित्यक्त राजस्व के रूप में नहीं होती। तथापि, निर्यात से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीमों के माध्यम से दी गई रियायतों, जिनमें शुल्क पर्चीयों (स्क्रिप्स) के द्वारा निर्यातकों को विहित दर पर प्रोत्साहन दिए जाते हैं, के परिणामस्वरूप राजस्व परित्यक्त नहीं होता क्योंकि इन पर्चीयों के माध्यम से उपलब्ध शुल्क क्रेडिट को आयातों पर देय बीसीडी के विरुद्ध प्रतिभारित किया जाता है।

3. भारत ने अनेक देशों या देशों के समूह के साथ निःशुल्क व्यापार करार, व्यापक आर्थिक साझेदारी करार, व्यापक आर्थिक सहयोग करार किए हैं। इसी तरह, भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी करार I पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इन करारों के तहत, भारत ने इस तरह के करार में सम्मिलित विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर करार में सम्मिलित विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर निम्न दर/छूट प्रदान करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है। इन अधिमानी प्रशुल्कों को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से भी विहित किया गया है। राजकीय वचनबद्धताओं के रूप में दी गई ये अधिमानी प्रशुल्क इन करारों में सम्मिलित आयातों के लिए सामान्य लागू दर भी हैं।

4.1 बजट 2016-17 तक, सीमा शुल्कों पर दिए गए कर प्रोत्साहनों की राजस्व देयता का अनुमान सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची या संबंधित वित्त अधिनियम के तहत विहित प्रशुल्क दरों के सापेक्ष किसी भी सशर्त या शर्तहीन छूट संबंधी अधिसूचना के तहत विहित प्रभावी दर को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार लगाया गया था, -

क) जिन मामलों में प्रशुल्क और शुल्क की प्रभावी दरें यथामूल्य होती हैं, वहां-

कर प्रोत्साहनों की राजस्व देयता = वस्तुओं का मूल्य x (शुल्क की प्रशुल्क दर - शुल्क की प्रभावी दर)

ख) जिन मामलों में, प्रशुल्क दर यथामूल्य आधारित हैं, परंतु प्रभावी शुल्क विनिर्दिष्ट है, वहां

कर प्रोत्साहनों की राजस्व देयता = (वस्तुओं का मूल्य x शुल्क की प्रशुल्क दर) - (वस्तुओं की मात्रा x विनिर्दिष्ट शुल्क की प्रभावी दर)

ग) जिन मामलों में, प्रशुल्क दरें और प्रभावी दरें यथामूल्य दरों और विनिर्दिष्ट दरों का संयुक्त रूप हैं, वहां कर प्रोत्साहनों की राजस्व देयता तदनुसार परिकलित की जाती है।

4.2 तथापि, इस पद्धति के परिणामस्वरूप कर प्रोत्साहनों की राजस्व देयता का अधिक अनुमान लग जाता है, क्योंकि इसमें शर्तहीन और सशर्त छूटों को समान माना जाता है। जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है, चूंकि शर्तहीन छूटों और राजकीय वचनबद्धताओं के रूप में दी गई छूटों में वस्तुतः संबंधित वस्तु के लिए एमएफएन दरें (प्रभावी दर) विहित की जाती हैं, इसलिए कर रियायतों की राजस्व देयता का अधिक उपयुक्त अनुमान सशर्त छूटों के कारण होने वाले परित्यक्त राजस्व के रूप में होगा।

4.3 इसके अतिरिक्त, इस पद्धति में क्रेडिट पर्ची के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहनों के द्वारा पड़ा राजस्व प्रभाव शामिल नहीं था, जिसका उपयोग कर के भुगतान के लिए किया जा सकता था (जैसाकि ऊपर पैरा 2.5 में चर्चा की गई) जिसके परिणामस्वरूप कम राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया।

4.4 बजट 2018-19 के लिए लगाए गए अनुमानों में कर निष्प्रभाव स्कीमों की वजह से आयातों पर राजस्व प्रभाव गलत पूर्वानुमान से बीसीडी छूटों के कारण समग्र राजस्व प्रभाव में से असावधानीवश दो बार घटा दिया गया। इस प्रकार, वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानित राजस्व प्रभाव के आंकड़ों में चूक हो गई।

5. वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 (अनंतिम) के लिए राजस्व प्रभाव का आकलन:

छूट संबंधी विभिन्न अधिसूचनाओं के अंतर्गत कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा विनिमय के विभिन्न स्थलों पर भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा विनिमय प्रणाली (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा दायर प्रविष्टि बिलों में से सृजित आंकड़ों के आधार पर लगाया जाता है। आईसीआई से इतर आयातों के कारण कितना राजस्व छोड़ दिया गया है, यह ज्ञात करने के लिए बहिर्वेशन किया गया है, जो कुल आयातों का लगभग 7% होता है।

6.1 उपर्युक्त कार्यपद्धति के आधार पर, वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 (अनंतिम) के लिए सीमा-शुल्क पर कर रियायतों का राजस्व प्रभाव निम्नवत है:

सारणी I ** : मूलभूत सीमा-शुल्क के कारण कर रियायतों का राजस्व प्रभाव

क्र. सं.	स्कीम का नाम	सूत्र	राजस्व प्रभाव (2017-18)	राजस्व प्रभाव (2018-19) (अनंतिम)
क.	ईडीआई आंकड़ों के अनुसार भाड़ा दर की अपेक्षा कम अलग अलग दरों पर बीसीडी संग्रहण के कारण	-	195770	199518
ख.	ईडीआई आंकड़ों के अनुसार शर्तरहित/तकनीकी बीसीडी छूटों के कारण	-	145428	130748
ग.	ईडीआई आंकड़ों के अनुसार एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए के कारण (सारणी II का संदर्भ लें)	-	21780	37632
घ.	सशर्त बीसीडी छूटों के कारण ईडीआई स्थलों के अनुसार (सारणी III का संदर्भ लें)	-	28562	31138
ङ.	सशर्त बीसीडी छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व - ईडीआई + गैर-ईडीआई स्थल	डीx100/एफ*	30811	33338
च.	आदान कर निष्प्रभाव स्कीम के कारण राजस्व प्रभाव (सारणी IV का संदर्भ लें)	-	18584	24702
छ.	निर्यात संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव (सारणी IV का संदर्भ लें)	-	22893	41018
ज.	निवल परित्यक्त शुल्क	ङ + छ	53704	74356

* "एफ" बहिर्वेशन कारक है जो वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए क्रमशः 92.7 और 93.4 है।

** संशोधित कार्यपद्धति पर आधारित (पैरा 5 का संदर्भ लें)

6.2 वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के कारण राजस्व प्रभाव का ब्यौरा निम्नानुसार है (ऊपर सारणी I में क्र.सं. ग का संदर्भ लें) :-

सारणी - II एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के कारण राजस्व प्रभाव

क्र.सं.	एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए देश/क्षेत्र	राजस्व प्रभाव (2017-18)	राजस्व प्रभाव (2018-19) (अनंतिम)
1	आशियान देशों से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क की रियायती दर के कारण	12042	25718
2	कोरिया से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क की रियायती दर के कारण	6695	7327
3	जापान से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क की रियायती दर के कारण	2592	4053
4.	दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क की रियायती दर के कारण	431	500
5.	अन्य	20	34
	कुल	21780	37632

6.3 वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव का ब्यौरा (ऊपर सारणी I में क्र.सं.घ. का संदर्भ ले) निम्नवत है: -

सारणी - III सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव

क्र.सं.	शीर्ष	(₹ करोड़)	
		राजस्व प्रभाव (2017-18)	राजस्व प्रभाव (2018-19) (अंतिम)
1	मोबाइल फोन के विनिर्माण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट वस्तुओं को छूट दिए जाने के कारण	3075	8600
2	उपहार स्वरूप विविध वस्तुओं जैसे कि निदर्शों आदि की छूट दिए जाने के कारण	3433	4249
3	खनिज ईंधनों, खनिज तेल आदि को बीसीडी छूटों के कारण	499	1122
4	सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अथवा सरकारी विभाग आदि द्वारा आयातित अनुसंधान संबंधी उपकरणों को छूट दिए जाने के कारण	518	260
5	छूट दिए जाने तथा अन्य मदों (क्र. सं. 1 से 4 में उल्लिखित से अन्य) के लिए प्रभावी दरों के कारण	21037	16907
	कुल	28562	31138

6.4 वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार निर्यात संवर्धन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव का ब्यौरा (ऊपर सारणी I में क्र.सं. च और छ का संदर्भ ले) निम्नवत है: -

सारणी - IV निर्यात संवर्धन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव

क्र.सं.	स्कीम का नाम	(₹ करोड़)	
		राजस्व प्रभाव (2017-18)	राजस्व प्रभाव (2018-19) (अंतिम)
1.	उन्नत लाइसेंस स्कीम	11057	15075
2	ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजेड	4687	5734
3	ईपीसीजी	2445	3220
4	शुल्क मुक्त आयात अनुमोदन स्कीम	395	673
5	शुल्क मुक्त हकदारी ऋण प्रमाणपत्र	188	140
6	सेवा निर्यात प्रोत्साहन स्कीम	2384	3756
7	फोकस बाजार/उत्पाद स्कीम	500	507
8	इंडिया स्कीम से वाणिज्यिक वस्तु का निर्यात	19821	36615
9	कुल	41477	65720
10	क्र. सं. 5 से 8 पर उल्लिखित निर्यात संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों पर राजस्व प्रभाव	22893	41018
11	आदान कर निष्प्रभावन अथवा छूट स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव	18584	24702